भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3673
(16 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अपूर्ण परियोजनाएं

3673. डॉ. ए. चैल्ला कुमारः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्धारित समय में वर्ष-वार कितनी परियोजनाएं पूरी नहीं हुई है;
(ख) क्या इन परियोजनाओं के कार्यकरण में संबंधित प्राधिकरणों ने चूककर्ताओं पर शास्ति लगाई है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में कार्य आदेश के जारी होने की तिथि से 12 कैलेंडर माह और पर्वतीय राज्यों में 18 कैलेंडर माह के भीतर एक से अधिक सड़क कार्य वाले पैकेज को पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों के मामले में कार्य को पूरा करने के लिए 24 कैलेंडर माह की समय-सीमा की अनुमति दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर पूरी न की गई परियोजनाओं की संख्या वर्ष-वार निम्नानुसार है:-

अवधि	**सड़क संख्या**	**लंबाई (कि.मी.)**	**पुल (संख्या)**
मार्च 17	8932	32,198.32	1,052
मार्च 18	4846	13,820.85	798
मार्च 19	5461	15,243.84	1,002

(ख) से (ग): पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देश उन ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करते हैं जिन्होंने निविदा दस्तावेज में दी गई निर्धारित समय सीमा के अनुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया है। पीएमजीएसवाई के लिए निर्धारित मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) का राज्यों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। एसबीडी के अनुसार, कार्य की धीमी प्रगति के कारण दोषी ठेकेदार से कुल निविदा राशि के अधिकतम 10% वसूली की जा सकती है। राज्यों के पीएमजीएसवाई कार्यों की कार्यान्वयन एजेंसियां होने की वजह से, एसबीडी की शर्त के अनुसार पीएमजीएसवाई कार्यों के क्रियान्वयन में दोषी निविदाकर्ता पर जुर्माना लगाने का अधिकार राज्य के पास होता है।

******